महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर एक अध्ययन

Sunanda Verma1*, Dr. Bal Vidya Prakash2

¹ Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P., India

Email: sunandav831@gmail.com

² Associate Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P. India

सार- भारत में मिहलाओं के प्रति घरेलू हिंसा एक बहुत प्रसिद्ध और सबसे आम समस्या है। मिहलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को लैंगिक मानदंडों और मूल्यों द्वारा समर्थित और प्रबलित स्थिति के रूप में समझा जाता है जो मिहलाओं को पुरुषों के संबंध में अधीनस्थ स्थिति में रखता है। घरेलू हिंसा मिहलाओं के खिलाफ सबसे आम अपराधों में से एक है जो पितृसता के कायम रहने से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। घरेलू हिंसा से तात्पर्य विशेषकर वैवाहिक घरों में मिहलाओं के विरुद्ध हिंसा से है। घरेलू हिंसा को मिहला सशक्तीकरण के मार्ग में महत्वपूर्ण बाधा के रूप में पहचाना जाता है और यह राजनीति की लोकतांत्रिक व्यवस्था को विकृत भी करती है। भारत ने मिहलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने के लिए 2005 में विशेष रूप से घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया है, लेकिन अब तक इसके मिश्रित परिणाम सामने आए हैं। यह पेपर बहुआयामी परिप्रेक्ष्य में घरेलू हिंसा की जांच करता है। अंत में समाज से इस ब्राई को ख़त्म करने के लिए सिफ़ारिशें की गईं।

संकेतशब्द - घरेलू हिंसा, न्यायपालिका, सरकार, पुलिस, गैर सरकारी संगठन, स्वास्थ्य देखभाल सहायता, परामर्श

1. परिचय

घरेलू हिंसा एक वैश्विक मुद्दा है जो राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नस्लीय और वर्ग भेद तक पहुँच रहा है। यह समस्या न केवल भौगोलिक रूप से व्यापक रूप से फैली हुई है, बल्कि इसकी घटना भी व्यापक है, जो इसे एक विशिष्ट और स्वीकृत व्यवहार बनाती है। हर तरह की पृष्ठभूमि की महिलाएं हर दिन हिंसा से प्रभावित होती हैं। कभी-कभी, उन पर अजनबियों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन अक्सर उन्हें उन लोगों द्वारा चोट पहुंचाई जाती है जो उनके करीबी होते हैं। अधिकांश समुदायों और संस्कृति में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है।

भारतीय समाज भी इस हकीकत से दूर नहीं है. महिलाओं की स्थिति दुनिया के अन्य देशों की तरह ही है। उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है। लैंगिक असमानता का सबसे महत्वपूर्ण रूप भारतीय महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली घरेलू हिंसा के माध्यम से सामने आता है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू

हिंसा उनके सहयोगियों द्वारा की जाती है। यह शारीरिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न या यौन हिंसा के रूप में हो सकता है। यह हिंसा उनके खराब स्वास्थ्य की स्थिति में योगदान देती है और समाज में उनकी प्राथमिक भूमिका को सीमित कर देती है। इस प्रकार, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा न केवल मनुष्यों विशेषकर महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा है, बल्कि इसे महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित एक प्रमुख कारक भी माना जाता है। घरेलू हिंसा को तब तक गंभीरता से नहीं माना जाता जब तक कि इसमें पीड़ित की हत्या या गंभीर शारीरिक चोट शामिल न हो। लेकिन चिकित्सीय दृष्टिकोण से लंबे समय से चली आ रही घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं की तुलना में मनोवैज्ञानिक विकार अधिक होते हैं।

घरेलू हिंसा की प्रकृति और विशेषताएँ

घरेलू हिंसा को सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत समानता और समान स्रक्षा के अधिकार के उल्लंघन के रूप में भी देखा जा सकता है। घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में महिला जिस घर में रहती है, उसके सदस्यों द्वारा उसके विरुद्ध हिंसा की जाती है। यह पति, उसके माता-पिता, या भाई-बहन या कोई अन्य निवासी हो सकता है जिसके पास ऐसे कार्यों के लिए प्रत्यक्ष या गुप्त छूट है जो महिला को शारीरिक या मानसिक पीड़ा पह्ंचा सकते हैं। लेकिन, इस तरह की हिंसा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह तथ्य है कि "यह बंद दरवाजों के पीछे होता है" और अक्सर वही महिला इससे इनकार करती है जो हिंसा की शिकार रही है। यह अपराध का वह पहलू है जो खुद को अन्य सभी प्रकार की सामाजिक हिंसा से अलग करता है। महिला किसी भी उम्र की हो सकती है, वह बालिका, अविवाहित, विवाहित या विधवा सहित बुजुर्ग महिला या ऐसी महिला हो सकती है जिसके साथ पुरुषों का विवाह जैसा रिश्ता हो। हिंसा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों हो सकती है। यह न केवल उसके शारीरिक अस्तित्व के लिए, बल्कि उसके आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास के लिए भी खतरे या आक्रामक व्यवहार का संकेत देता है।

महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या यौन हो सकती है। मनोवैज्ञानिक हिंसा शारीरिक हमले के बजाय मनोवैज्ञानिक हथियारों (धमकी, अपमान, अपमानजनक व्यवहार, मानव अस्तित्व से इनकार) के साथ की जाती है। शारीरिक हिंसा में महिला के शरीर के प्रति सभी प्रकार के आक्रामक शारीरिक व्यवहार शामिल हैं। यौन हिंसा में निष्क्रिय या सिक्रय हिंसा दोनों शामिल हो सकती हैं। इसमें विकृति के मामले भी शामिल होंगे। घरेलू हिंसा का शिकार पति या उसके परिवार के सदस्य हो सकते हैं। घरेलू हिंसा में कोई उम्र, सामाजिक-आर्थिक, धार्मिक, नस्लीय, लिंग या शैक्षणिक बाधाएं नहीं होतीं। यह एक मिथक है कि केवल गरीब या अशिक्षित ही घरेलू दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं।

अधिकांश अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अधिक समृद्ध पड़ोस में भी पित-पत्नी के बीच दुर्व्यवहार की घटनाएं अधिक होती हैं। यद्यपि एक गरीब पीड़ित के पास संसाधन उपलब्ध न होने की भयानक समस्या होती है, अधिक समृद्ध जीवनसाथी भी सामाजिक कलंक, अधिक आर्थिक दबाव और साथी की बढ़ी हुई सामाजिक स्थित और शक्ति के कारण समान रूप से हताश जाल में फंस सकता है। पिरवार और मित्र अप्रत्यक्ष रूप से दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं। पीड़ित जिस अलगाव और आतंक के साथ रहता है, वह उसके निकटतम लोगों को सार्थक और संतुष्टिदायक रिश्तों से वंचित कर देता है। पीड़ित को अक्सर भरोसेमंद दोस्तों और परिवार से मिलने से मना किया जाता है और स्कूल जाने या घर से बाहर काम करने के अवसर से भी वंचित

किया जाता है। इस भयानक अलगाव के बीच, वित्त तक बहुत कम या कोई पहुंच या नियंत्रण नहीं है, दुर्व्यवहार करने वाला "ब्रेनवॉशिंग" रणनीति अपनाता है, और रिश्ते के बाहर किसी के भी विपरीत इनपुट के बिना, पीड़ित के लिए वास्तविकता का परीक्षण करने का कोई तरीका नहीं होता है।

• घरेलू हिंसा का समाज पर प्रभाव

इस निबंध में चर्चा की गई हिंसा के सभी विभिन्न रूप समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से उन्हें घरों में बंद रहना पड़ सकता है और उन्हें यातना का सामना करना पड़ सकता है। यदि वे खुलकर सामने आते हैं और मदद और बचाव के लिए अपने साथ हुए गलत को उजागर करते हैं, तो इसका समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है। एक ओर जहां यह अन्य पीड़ित महिलाओं के लिए प्रेरणा और आशा की किरण का काम करती है, वहीं दूसरी ओर यह समाज का माहौल भी खराब करती है। जब समाज में इस तरह की कोई घटना घटती है, तो कुछ परिवार घरेलू हिंसा की बुराई को अपने दरवाजे पर दस्तक देते हुए देख सकते हैं। कुछ परिवार दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह परिवार के लिए अच्छा हो या बुरा।

• उत्पादकता पर प्रभाव

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, घरेलू हिंसा पीड़ित के उत्पादकता स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। पुरुषों और महिलाओं की घरेलू गतिविधियों में रुचि कम हो जाती है। यदि वे नौकरीपेशा हैं तो कार्यस्थल पर पूरी क्षमताओं के साथ काम करने में असफल रहते हैं। बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम लगता है। वे स्कूल छोड़ देते हैं और उन्हें वह शिक्षा नहीं मिल पाती जो अन्यथा उन्हें मिल सकती थी यदि उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाता और इस तरह देश एक उत्पादक संपत्ति खो देता है। इसलिए, घरों में घरेलू हिंसा के कारण देश की उत्पादकता पूरी तरह प्रभावित होती है।

1. सुझाव

घरेल् हिंसा की घटना और व्यापकता को कम करने के लिए विभिन्न वर्गों की भूमिकाओं/सेवाओं पर प्रकाश डालने वाली सिफारिशें प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत नीचे दी गई हैं: न्यायपालिका, सरकार, पुलिस, गैर सरकारी संगठन, स्वास्थ्य

देखभाल सहायता, परामर्श, जागरूकता सृजन और संवेदनशीलता आदि।

2. न्यायपालिका

- घरेलू हिंसा की घटनाओं को कम करने के लिए नशीली दवाओं की लत से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाले शराबियों से सख्ती से निपटने के उपाय किए जाने चाहिए।
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामलों के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जानी चाहिए, जिसमें बलात्कार और बाल दुर्व्यवहार पीड़ितों के बयानों की वीडियोग्राफी जैसी आधुनिक तकनीकी सहायता भी शामिल हो।
- घरेलू हिंसा के मामलों को तुरंत उठाया जाना चाहिए
 और उन पर अनावश्यक तनाव और दबाव डालने से बचते हुए बिना देरी के पूरा किया जाना चाहिए।

3. सरकार

- महिलाओं से संबंधित मौजूदा कानूनों के उचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के प्रयास किये जाने चाहिए।
- सरकारी एजेंसियों/विभाग को जनता के बीच घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की सहायता का उपयोग करना चाहिए।
- घरेलू हिंसा के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों को विशेष कानूनी सहायता कक्षों से स्सज्जित किया जाना चाहिए।

4. पुलिस

- घरेलू हिंसा के मामलों को किसी अन्य अपराध की तरह ही गंभीरता से लेने के लिए पुलिस को संवेदनशील होने की आवश्यकता है।
- घरेलू हिंसा के मामलों को संभालने के लिए पुलिस बल को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- उन्हें न्यायपालिका, सरकार के समर्थन नेटवर्क के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। घरेलू हिंसा से निपटने वाली एजेंसियों/विभागों और गैर

- सरकारी संगठनों को अपने काम को और अधिक प्रभावी और क्शल बनाने के लिए।
- महिलाओं के मुद्दों से निपटने के लिए पुलिस की एक अलग शाखा होनी चाहिए, जो सभी पुलिस स्टेशनों से जुड़ी हो और इसे किसी भी अन्य कर्तव्य से बाहर रखा जाना चाहिए।
- महिला पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के खिलाफ सभी अपराधों को संभालना चाहिए।

5. गैर सरकारी संगठन

- विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को घरेलू हिंसा के मुद्दों पर सिक्रय बनाया जाना चाहिए ताकि पीड़ितों को त्विरत सहायता प्रदान की जा सके।
- गैर-सरकारी एजेंसियों और निजी संस्थानों को घरेलू हिंसा के मुद्दे का समाधान करने वाली किसी भी पहल का हिस्सा बनने की आवश्यकता है।
- घरेलू हिंसा से निपटने वाली सभी एजेंसियों के बारे में जानकारी सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को उनके संदर्भ के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यकता पड़ने पर सेवाएं प्रदान की जा सकें।
- संकटग्रस्त महिलाओं के लिए अल्पावास गृह जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और उनके पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए।
- प्रभावित महिलाओं के बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कामकाज को बढ़ाने के लिए विशेष देखभाल और ध्यान दिया जाना चाहिए।

6. स्वास्थ्य देखभाल सहायता

 अधिकारियों को घरेलू हिंसा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचानने के लिए कदम उठाने चाहिए।

www.ignited.in

- हिंसा की किसी घटना के बाद चिकित्सा सहायता चाहने वाली महिलाओं को विशेष देखभाल प्रदान की जानी चाहिए।
- लिंग आधारित हिंसा; दुर्व्यवहार करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और देखभाल पर इसके प्रभाव को चिकित्सा और नर्सिंग पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाना चाहिए।

7. परामर्श

- घरेलू हिंसा पीड़ितों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में पेशेवर रूप से योग्य परामर्शदाताओं के साथ अधिक परामर्श केंद्र शुरू किए जाने चाहिए।
- कमजोर समुदायों की पहचान की जानी चाहिए और परामर्श, कानूनी सहायता आदि जैसी सेवाओं को आसानी से सुलभ और निःशुल्क बनाया जाना चाहिए।
- घरेलू हिंसा के पीड़ितों को सांत्वना प्रदान करने के लिए मोबाइल काउंसिलंग को एक प्रभावी रणनीति के रूप में पेश किया जाना चाहिए।

8. जागरकता सृजन और संवेदीकरण

- घरेलू हिंसा पर लिंग संवेदीकरण और जागरूकता सृजन कार्यक्रम स्कूल और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए।
- इससे आने वाली पीढ़ियों की सोच में बदलाव लाने में मदद मिलेगी।
- महिलाओं के मुद्दों से निपटने वाले गैर सरकारी संगठनों और अन्य सरकारी संगठनों की सूची जनता को बताई जानी चाहिए।

9. मीडिया

मीडिया को महिलाओं के मुद्दों को सशक्त तरीके से सार्वजनिक डोमेन में लाना चाहिए। वे जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वे विभिन्न क्षेत्रों के वक्ताओं और पैनलिस्टों, निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को अपने विचार साझा करने और विभिन्न लैंगिक मुद्दों पर गहन अध्ययन करने और समस्या के विभिन्न पहलुओं को समग्र रूप से छूने के लिए एक मंच प्रदान कर सकते हैं। अत्याचार के कुछ पीड़ितों के अप्रिय

अनुभवों और अमानवीय कृत्यों के कारण उन्हें जो पीड़ा झेलनी पड़ी, उसे समझने के लिए उनके विचारों को भी लिया जाना चाहिए।

10. परिवार के स्तर पर

- परिवार पहली और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, जहाँ बच्चे मानवता और सामाजिक रिश्तों का पहला पाठ सीखते हैं। दोनों लिंगों के बच्चों और युवाओं में ईमानदारी, सादगी, विनम्रता, जिम्मेदारी की भावना और बड़ों के प्रति सम्मान जैसे सकारात्मक मूल्यों को विकसित करने के लिए परिवार सबसे अच्छी जगह है।
- बचपन मनुष्य के जीवन में सबसे रचनात्मक, शिक्षाप्रद और प्रभावशाली समय होता है और ऐसे मूल्यों को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि यह जीवन भर उनके नाजुक मानस में स्थायी रूप से और दृढ़ता से अंतर्निहित रहता है।
- लिंग संवेदीकरण का प्रशिक्षण परिवार में ही दिया जाना चाहिए। शुरू से ही सभी बच्चों के साथ बिना किसी लिंग-भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

11. महिला भाग पर

- महिलाओं को अपने ऊपर होने वाले सभी अत्याचारों को चुपचाप सहने की बजाय अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए; महिलाओं में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना और लेख लिखकर, सेमिनार, कार्यशालाएँ आदि आयोजित करके उनके प्रयासों को दिशा देना।
- समाज में उनकी सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, उन्हें हाथ मिलाना चाहिए और एकता की भावना से काम करना चाहिए। उन्हें दहेज, दुल्हन को जलाना, कन्या भ्रूण हत्या आदि जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ साहसपूर्वक आवाज उठानी चाहिए।
- महिलाओं को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर

अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि जीवन में विपरीत परिस्थितियों में कोई उनका शोषण न कर सके। उन्हें कराटे आदि का प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।

संदर्भ

- अग्रवाल, ए. (2018)। दहेज प्रथा और सामाजिक संरचना: एक अध्ययन। जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, 42(3), 212-225।
- अरोड़ा, एस., और बाली, ए. (2019)। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: एक सामाजिक अध्ययन। महिला अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 6(2), 87-99।
- कुमार, एन., और शर्मा, एस. (2020)। पित-पत्नी के रिश्ते पर आधारित हिंसा के कारण और प्रभाव: एक अध्ययन। समाजशास्त्र समीक्षा, 12(1), 45-57.
- 4. चौहान, डी., और गोयल, एम. (2017)। लड़िकयों और युवा महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा: एक अध्ययन। बाल विकास जर्नल, 23(4), 332-345।
- जैन, पी., और सिंह, ए. (2018)। आधुनिक भारतीय समाज में महिला हिंसा: सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। महिला अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 5(1), 22-35।
- देवी, ए., और राजपूत, एस. (2019)। वृद्धावस्था
 और घरेलू हिंसा की समस्याएँ: एक अध्ययन।
 जर्नल ऑफ जेरोन्टोलॉजी, 15(2), 112-125।
- 7. मिश्रा, एस., और तिवारी, आर. (2020)। घरेलू हिंसा के तंत्र और सामाजिक परिणाम: एक अध्ययन। समाजशास्त्र समीक्षा, 13(3), 178-191।
- 8. लाल, डी., और तिवारी, ए. (2018)। पारिवारिक दबाव और घरेलू हिंसा: एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फ़ैमिली स्टडीज़, 9(4), 256-269।
- 9. वर्मा, ए., और यादव, एस. (2017)। सामाजिक और आर्थिक असमानता: घरेलू हिंसा के कारण। समाजशास्त्र समीक्षा, 10(2), 89-102।
- 10. शर्मा, एन., और यादव, ए. (2019)। विवाहित जीवन में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: एक

- अध्ययन। विवाह और परिवार जर्नल, 14(1), 34-47।
- श्रीवास्तव, डी., और मिश्रा, ए. (2018)। दहेज और सामाजिक प्रगतिः एक अध्ययन। समाजशास्त्र समीक्षा, 11(4), 289-302।
- 12. सिंह, पी., और मैत्रेयी, ए. (2020)। पति के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का प्रभाव: घरेलू हिंसा का एक अध्ययन। जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, 25(3), 212-225।
- 13. हेगड़े, एस., और शुक्ला, ए. (2017)। भारतीय समाज में लड़िकयों के विरुद्ध हिंसा: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। बाल विकास जर्नल.

Corresponding Author

Sunanda Verma*

Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P., India

Email: sunandav831@gmail.com